राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 4004/2025

हेमन्त कुमार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. आयुक्त/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर संभाग, जयपुर।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय, माध्यमिक शिक्षा, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 25.08.2025
आदेश की दिनांक : 28.08.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री एम.एस. राघव, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करते हुए उक्त अपील की सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता कथन है यह कि अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता ग्रेड–I अंग्रेजी के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चांदमा कलां ब्लॉक माधोराजपुरा जिला जयपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 12.04.2025 के द्वारा अपीलार्थी को अधिशेष मानते हुए समायोजन पर पदस्थापन महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, बिचून जिला जयपुर में किया गया। जहां पर अपीलार्थी ने दिनांक 16.04.2025 के द्वारा कार्यग्रहण कर लिया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 23.07.2025 के द्वारा अपीलार्थी को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, बिचून ब्लॉक मौजमाबाद, जयपुर से कार्यमुक्त कर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चांदमा कलां ब्लॉक माधोराजपुरा जिला जयपुर में कार्य ग्रहण करने के निर्देश दिये गये। अपीलार्थी ने दिनांक 26.07.2025 को कार्यग्रहण कर लिा। उनका कथन है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 16.07.2025 में दिये गये सामान्य निर्देश संख्या–10(4) के अनुसार यथा संभव निकटतम ब्लॉक में सजायोजन नहीं किया गया। अपीलार्थी का निवास स्थान बिचून ब्लॉक मौजमाबाद, जयपुर में है। अपीलार्थी के निवास स्थान से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, चांदना कलां, ब्लॉक माधोराजपुरा, जयपुर 75 कि.मी. दूर है। जबकि मौजमाबाद ब्लॉक के निकटतम ब्लॉक जोबनेर, जयपुर के माध्यमिक विद्यालय में व्याख्याता अंग्रेजी के पद रिक्त है। अपीलार्थी ने अपना पदस्थापन नजदीकी विद्यालय पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय,

बोबास, ब्लॉक जोबनेर, जयपुर, एसकेएन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ढाणी नागान, जोबनेर एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करणसर ब्लॉक, जोबनेर, जयपुर में किसी एक विद्यालय में किये जाने का निवेदन किया। अपीलार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 1665/2024 पवन कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य का उद्धरण देकर अपीलार्थी का प्रकरण समान बताया है। अतः अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 23.07.2025 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित करे कि अपीलार्थी का पदस्थापन नजदीकी विद्यालयों में माननीय उच्च न्यायायल में दायर एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 1665/2024 पवन कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित आदेश के अनुसार किसी भी रिक्त पद पर पदस्थापित किये जाने के आदेश फरमाये जावे।

3. हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

5. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित आधारों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 4 सप्ताह की अवधि में एक आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य